



राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

:: आदेश ::

S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 10915/2017

Devnath S/o Amar Nath, by caste Rawal, aged 60 Years, R/o
Village Devli Hula, P.S. Bagdinagar, District Pali
(At Present lodged in Sub Jail Sojat)

Accused-Petitioner

VERSUS

State of Rajasthan through PP

Respondent

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश बोडा मय सहयोगी
अधिवक्ता श्री अरुण कुमार
लोक अभियोजक श्री के वी व्यास।

:: आदेश ::

12.12.2017

न्यायालय द्वारा :

प्रार्थी की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के
तहत जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया
है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा
कि प्रार्थी-अभियुक्त के नाम के आगे 'रावल' शब्द लिखा हुआ है तथा
उक्त 'रावल' जाति अनुसूचित जाति में शामिल है तथा अभियुक्त के
नाम के साथ 'नाथ' लिखे जाने से जाति के वर्ग में किसी प्रकार का
अन्तर नहीं आता है। उनका यह भी तर्क रहा कि अभियुक्त-प्रार्थी
काफी समय से अभिरक्षा में है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का
लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।



योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि अभियुक्त की जाति के क्रम में जो विवाद है, उसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर तय किया जाना है, इस न्यायालय की विनम्र राय में प्रार्थी-अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में होने के दृष्टिगत मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी **देवनाथ** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी पुलिस थाना, **बगडी नगर, जिला पाली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**90/2017** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 467, 468, 471, 120-बी भादं** के मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का बन्ध-पत्र एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/21

उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार का राजपत्र संख्या-1, दिनांक 02 जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प/नोटिफिकेशन के तहत संबंधित भाषा (हिन्दी) में खुले न्यायालय में लिखाया गया।